Estt./N.B./S.O
22.11.24

11706
11707
11705
22/11/24

जर्ये ई–मेल

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2024/3339-48 दिनांक : 22.11.2024

संशोधित आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश में अंकित नोट "माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के पत्र कमांक स्था./2024/7882 दिनांक 28.08.2024 के अनुसार बून्दी, हिण्डोली व तालेड़ा मुख्यालय के अधिकारी अपने अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ही रिमाण्ड ड्यूटी के साथ साथ आवश्यकता होने पर प्रोटोकॉल कार्य सम्पादित करेंगे तथा नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़ व के.पाटन मुख्यालय के अधिकारीगण बून्दी मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे तथा आवश्कता होने पर प्रोटोकॉल कार्य भी सम्पादित करेंगे।" में प्रशासनिक कारणों से श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के मौखिक निर्देशानुसार आंशिक संशोधन करते हुये राजपत्रित अवकाशों में नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ व के.पाटन मुख्यालय के अधिकारीगण जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु बून्दी मुख्यालय के स्थान पर अपने–अपने मुख्यालय पर ही रहकर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़, व के.पाटन मुख्यालय के अधिकारीगण अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक अपने न्यायालय में बैठकर एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करेंगे तथा किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर दूरभाष या अन्य सन्देश प्राप्त होने पर अविलम्ब बून्दी मुख्यालय पर उपस्थित होंगे।

सावित्री सिंह
22/11/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/3339-48 दिनांक : 22/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये सम्बन्धित मुख्यालय पर नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(3) संबंधित पीठासीन अधिकारी

(4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये सम्बन्धित मुख्यालय पर नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(5) पुलिस कंट्रोल रुम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी

(6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी

(7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.

(8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

सावित्री सिंह
22/11/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)